

1172

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-15, दिनांक- 28/01/2025

संख्या-1/स्था0 (2) 07/2023- 407 /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्त्रीनिंग समिति की दिनांक-14.01.2025 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार गव्य सेवा संवर्ग के उप निदेशक (गव्य) के पदाधिकारी को संयुक्त निदेशक (मु0)/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य) में, उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कोटि
1	2	3
1.	श्री उमेश प्रसाद, प्रभारी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य), केन्द्रीय क्षेत्र, पटना	उप निदेशक (गव्य)

- संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।
- अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि की भी वसूली कर ली जायेगी।
- कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं0-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्धवादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
- उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।
- उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक (मु0)/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य) (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-11) में उत्क्रमित किया जाता है।
- उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निदेशक (मु0)/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मुकेश कुमार "मुकुल")

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 07/2023 - ५०८ /पटना-15, दिनांक- २४/०१/२०२५
 प्रतिलिपि:-ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संगत सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं
 आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
 सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 07/2023 - ५०८ /पटना-15, दिनांक- २४/०१/२०२५

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (६०दा०नि०को०)
 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(२) अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना में अंकित पदाधिकारी को क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य)/
 संयुक्त निदेशक (गव्य) में, विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित दी गयी अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी
 प्रभार के संबंध में सम्पुष्ट होने के पश्चात् (वेतन स्तर-11 के संबंध में) वेतन निर्धारण/वेतन पूर्ण निर्गत
 करेंगे।

[Signature]
 सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 07/2023 - ५०८ /पटना-15, दिनांक- २४/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, के आप्त सचिव, सामान्य
 प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार,
 पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित
 संयुक्त निदेशक (मु०)/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य)/संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी/संबंधित
 कोषागार पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
 सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था0 (2) 07/2023 - ५०८ /पटना-15, दिनांक- २४/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

[Signature]
 सरकार के उप सचिव।